



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 10.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना डकोर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15,000-15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1. देवेन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह 2. रमेश पुत्र स्व० गंगाधर यादव निवासीगण ग्राम डकोर थाना डकोर जनपद जालौन के विरुद्ध थाना डकोर पर मु०अ०सं० 180/04 धारा 395/397 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना डकोर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह व रमेश को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15,000-15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



ADGC क्रिमिनल
महेन्द्र विक्रम सिंह



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० प्रेमकिशोर कोर्ट
मुहरिर



कोर्ट पैरोकार का०
राजकुमार

jalaunpolice

